

2.1.18

अभिलेख उपस्थापित।

नवनियुक्त प्रधान के द्वारा जमानत
की राशि का कौषागार खालान की प्रति
के साथ कबुलियत कारखाने किपा हैं।
पट्टा हस्ताक्षरित, निर्गम करें।

2.1.18
अनु. पदाप
महागाम